प्रेषक,

आयुक्त
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– / प्र0क0–2 / 2024–25 लखनऊः दिनांक 06-01-2025

विषय–प्रदेश में मल्टीप्लेक्सेज / एकल सिनेमाघरों के निर्माण प्रोत्साहन व उच्चीकरण के संबंध में समय–समय पर जारी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत अनुदान के रूप में अनुमन्य राज्य कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय के परिपत्र संख्या–352 / प्र0क0–2 / 2022–23 दिनांक 22.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–690 / 11–6–2018–एम(58) / 2017 दिनांक 03.12.2018 के क्रम में अनुरोध किया गया था कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन कराते हुये प्रदेश में मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों के निर्माण के प्रोत्साहन हेतु समय–समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत संचालित मल्टीप्लेक्सों / सिनेमाघरों के लाइसेंस धारकों को अनुमन्य राज्य कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति कराये जाने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि प्रोत्साहन योजना संबंधी शासनादेश दिनांक 08.10.2024 के प्रस्तर–2 में ''अनुदान की शर्तें'' शीर्षक के बिन्दु–(iii) में यह व्यवस्था है कि अनुमन्य अनुदान धनराशि की वापसी (refund) योजना की अवधि में संबंधित को ऑनलाइन माध्यम से समयबद्ध रूप से, सुगमता एवं सरलता से प्राप्त होने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

उक्त के दृष्टिगत परिपत्र दिनांक 22.06.2022 द्वारा जारी की गयी व्यवस्था को समाप्त करते हुये, वर्तमान में संचालित मल्टीप्लेक्सों / सिनेमाघरों के लाइसेंस धारकों को अनुदान के रूप में अनुमन्य राज्य कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत प्रक्रिया निम्नवत् हैः–

1– लाइसेंसी(आवेदक) द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया–

(1) किसी प्रोत्साहन योजना से आच्छादित एकल / मल्टीप्लेक्स छविगृह के लाइसेंसी द्वारा प्रोत्साहन हेतु समय–समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत अनुमन्य राज्य कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (प्रान्तीय अधिनियम) के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति (मल्टीप्लेक्स / सिनेमागृह का लाइसेंसी) द्वारा देय मासिक / त्रैमासिक रिटर्न Form GSTR-3B में दाखिल करने के पश्चात संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्धारित प्रारूप में स्वतः घोषणा अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र तथा दावे के समर्थन में अन्य सुसंगत अभिलेख ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा। प्रान्तीय अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक ही जनपद में कई स्क्रीन (ऑडी) पर अथवा एक से अधिक जनपद में कई स्क्रीन्स (ऑडी) पर प्रदर्शन किये जाने की स्थिति में प्रत्येक जनपद एवं स्क्रीन का विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस हेतु आवेदक द्वारा विभागीय वेबसाइट https://comtax.up.nic.in/ पर Important Link के अंतर्गत ''एकल / मल्टीप्लेक्स सिनेमा के अनुदान हेतु आवेदन'' पर क्लिक करने के उपरान्त दो Tab, क्रमशः–New & Existing प्रदर्शित होंगे।

(3) अनुदान हेतु नये आवेदक को New शीर्षक के अंतर्गत सर्वप्रथम अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। तत्पश्चात् OTP verify करने के उपरान्त आवेदक द्वारा GSTIN दर्ज करते हुये

संबंधित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुमन्य राज्य कर के समतुल्य अनुदान की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु निम्न प्रारूप पर अपेक्षित विवरण भरना होगा–

1	पंजीकृत व्यक्ति का नाम	
2	पंजीकृत व्यक्ति का GSTIN	
3	मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघर का नाम व पता	
4	संबंधित शासनादेश संख्या / दिनांक	
5	जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुदान आदेश संख्या / दिनांक	
6	दावाकृत अनुदान की अवधि (मास / त्रैमास)	
7	अनुदान की धनराशि का विवरण	

अनुदान की कुल अनुमन्य धनराशि	मास / त्रैमास के प्रारम्भ के अवशेष अनुदान की धनराशि	मास / त्रैमास में दावाकृत अनुदान की धनराशि	मास / त्रैमास के अंत में अवशेष अनुदान की धनराशि
1	2	3	4

8	बैंक खाता संख्या / बैंक व शाखा का नाम / IFSC Code	
9		

क्र. सं.	जनपद	सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स का नाम एवं ऑडी सं0	दर्शकों की संख्या	टिकट दर	राज्य कर की दर	आपूर्ति की धनराशि (4x5)	संगत मास / त्रैमास हेतु दाखिल GSTR-3B में घोषित कर योग्य आउटवर्ड आपूर्ति की धनराशि	कॉलम–7 के सापेक्ष देय राज्य कर	कॉलम–9 के सापेक्ष दये राज्य कर के अनुदान का अनुमन्य प्रतिशत	कॉलम– 9 के सापेक्ष प्रतिपूर्ति योग्य राज्य कर की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

उक्त विवरण भरने के उपरान्त आवेदक द्वारा जिस अवधि हेतु अनुदान का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, उस अवधि हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र तथा अपने दावे के समर्थन में अन्य अपेक्षित अभिलेख अपलोड किया जायेगा, आवेदक द्वारा Final Submission के उपरान्त आवेदक को एक मैसेज प्राप्त होगा ''Your Application has been submitted with application number.............'' ।

(4) आवेदक Existing पर क्लिक करके उक्त application number and mobile number (पूर्व में प्रयुक्त) डाल कर अपनी application का status भी देख सकते हैं।

2– जनपद के मनोरंजन के कार्यों हेतु नामित नोडल अधिकारी (सहायक आयुक्त, खण्ड–1) हेतु प्रक्रिया–

आवेदक द्वारा आवेदन के Final Submission के उपरान्त, आवेदन संबंधित जनपद के नोडल अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगा। आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया के अंतर्गत नोडल अधिकारी विभागीय पोर्टल https://up-gst.com/entertainmenttax/ के लॉगिन पर जा कर प्रतिपूर्ति हेतु बटन को क्लिक करेंगे। उसके उपरान्त नोडल अधिकारी लॉगिन पर क्लिक करने के उपरान्त वैट से संबंधित विभागीय पोर्टल s3.up-gst.com/dms_etax पर redirect होगा। नोडल अधिकारी वैट पोर्टल पर इस हेतु पूर्व में आवंटित लॉगिन आई0डी0 / पासवर्ड का उपयोग करते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुदान के दावे के विवरण का सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के उपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा approve बटन पर क्लिक किया जायेगा। यह प्रक्रिया एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कर ली जायेगी।

3– संबंधित सेक्टर का अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में संबंधित एकल / मल्टीप्लेक्स छविगृह रजिस्टर्ड है, हेतु प्रक्रिया–

नोडल अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त, आवेदन संबंधित सेक्टर के अधिकारी, जहां संबंधित एकल / मल्टीप्लेक्स छविगृह रजिस्टर्ड है, के लॉगिन पर आ जायेगा।

(क) यदि आवेदक का एकल/मल्टीप्लेक्स छविगृह का GSTIN, संबंधित नोडल अधिकारी के क्षेत्राधिकार में रजिस्टर्ड है, तो आवेदन के संबंध में नोडल अधिकारी द्वारा सेक्टर अधिकारी के रूप में भी कार्य किया जायेगा। नोडल अधिकारी/सेक्टर अधिकारी द्वारा जांच कर स्वयं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रतिपूर्ति के दावे की सकल धनराशि, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा संगत मास/त्रैमास हेतु दाखिल FORM GSTR-3B के बिन्दु–6 में राज्य कर के मद में प्रदर्शित देय राज्य कर की धनराशि से अधिक नहीं है, के जांचोपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा सेक्टर अधिकारी के रूप में आवेदन approve किया जायेगा।

(ख) यदि एकल/मल्टीप्लेक्स छविगृह उसी जनपद के किसी अन्य सेक्टर या किसी अन्य जनपद के किसी सेक्टर में रजिस्टर्ड है, नोडल अधिकारी के द्वारा आवेदन को approve करने के उपरान्त संबंधित सेक्टर के अधिकारी, जहां संबंधित एकल/मल्टीप्लेक्स छविगृह का GSTIN रजिस्टर्ड है, को message द्वारा सूचना प्राप्त हो जायेगी। संबंधित सेक्टर के अधिकारी द्वारा विभागीय पोर्टल https://up-gst.com/entertainmenttax/ के लॉगिन पर जा कर प्रतिपूर्ति हेतु बटन को क्लिक करेंगे। उसके उपरान्त सेक्टर अधिकारी लॉगिन पर क्लिक करते ही प्रकरण वैट से संबंधित विभागीय पोर्टल s3.up-gst.com/dms_etax पर redirect होगा। वैट पोर्टल पर इस हेतु पूर्व में आवंटित लॉगिन आई0डी0/पासवर्ड का उपयोग करते हुये संबंधित सेक्टर के अधिकारी द्वारा इस आशय की जांच कि प्रतिपूर्ति के दावे की सकल धनराशि, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा संगत मास/त्रैमास हेतु दाखिल FORM GSTR-3B के बिन्दु–6 में राज्य कर के मद में प्रदर्शित देय राज्य कर की धनराशि से अधिक नहीं है, प्रमाणित किया जायेगा।

संबंधित सेक्टर के अधिकारी द्वारा उक्त आशय की जांच के उपरान्त आवश्यक सूचनाएं भरते हुये approve किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया पांच दिन के अंदर पूर्ण कर ली जायेगी। उसके उपरान्त आवेदन पुनः नोडल अधिकारी (मनोरंजन कार्य) के लॉगिन पर उपलब्ध होगा।

4– भुगतान आदेश जनरेट करने की प्रक्रिया–

सेक्टर के अधिकारी द्वारा आवेदन को approve करने के उपरान्त आवेदन जनपद के नोडल अधिकारी के लॉगिन पर दिखेगा। नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यक सूचनाएं भरने के उपरान्त भुगतान आदेश जनरेट करके संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट को अनुमोदन एवं डिजिटल हस्ताक्षर हेतु send किया जायेगा। यह प्रक्रिया तीन दिन के अंदर पूर्ण कर ली जायेगी।

5– जिला मजिस्ट्रेट हेतु प्रक्रिया–

नोडल अधिकारी द्वारा भुगतान आदेश जनरेट करके जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करने के उपरान्त, जिला मजिस्ट्रेट विभागीय पोर्टल https://up-gst.com/entertainmenttax/ के लॉगिन पर जा कर प्रतिपूर्ति हेतु बटन क्लिक करके जिला मजिस्ट्रेट लॉगिन पर जाकर, इस पोर्टल हेतु पूर्व में प्रयोग किये जा रहे अपने लॉगिन आई0डी0/पासवर्ड का प्रयोग करते हुये सहमति की दशा में अनुदान भुगतान आदेश के प्रारूप का अनुमोदन (approve) करते हुये अनुदान भुगतान आदेश पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा। डिजिटल हस्ताक्षर करने के उपरान्त, अनिवार्य रूप से save certificate का button click किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया दस दिन के अंदर पूर्ण कर ली जायेगी।

जिला मजिस्ट्रेट असहमति की दशा में, प्रस्तावित भुगतान आदेश के संबंध में पृच्छा (query) कर सकते हैं अथवा कारण सहित उसे reject भी कर सकते हैं। पृच्छा किये जाने की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट यथासंभव आवेदन उनके लॉगिन पर आने के पांच दिवस के अंदर करेंगे। पृच्छा के उपरांत दोबारा पृच्छा का उत्तर देते हुये आवेदन submit करने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट के लॉगिन पर आने के उपरान्त यथा संभव पांच दिन के अंदर भुगतान आदेश जारी किया जायेगा।

नोट–जिला मजिस्ट्रेट द्वारा query किये जाने की स्थिति में आवेदन नोडल अधिकारी की लॉगिन पर जायेगा, जिसे नोडल अधिकारी द्वारा उसे संबंधित आवेदक को send किया जायेगा।

आवेदक Existing user के अंतर्गत click करते हुये आवेदन संख्या और मोबाइल नम्बर अंकित करते हुये संबंधित query का जवाब देगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा rejection की स्थिति में आवेदक को पुनः New user के रूप में आवेदन करना होगा। अन्य प्रक्रियायें यथावत रहेगी।

6–आहरण वितरण अधिकारी (DDO) हेतु प्रक्रिया–

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुदान भुगतान आदेश पर डिजिटल हस्ताक्षर करने तथा save certificate के बाद अनुदान भुगतान आदेश संबंधित जनपद के आहरण वितरण अधिकारी के लॉगिन पर चला जायेगा। संबंधित आहरण वितरण अधिकारी विभागीय पोर्टल https://up-gst.com/entertainmenttax/ के लॉगिन पर जा कर प्रतिपूर्ति हेतु बटन क्लिक करेंगे, तदोपरान्त DDO लॉगिन पर क्लिक करते ही प्रकरण वैट से संबंधित विभागीय पोर्टल s3.up-gst.com/dms_etax पर redirect होगा। संबंधित आहरण वितरण अधिकारी उक्त पोर्टल पर इस हेतु पूर्व में आवंटित लॉगिन आई0डी0/पासवर्ड का उपयोग करते हुये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी भुगतान आदेश अतिशीघ्र डाउनलोड कर इस हेतु आवंटित बजट की धनराशि से संबंधित आवेदक (लाइसेंसी) को पांच कार्य दिवस के अंदर प्रतिपूर्ति की स्वीकृत धनराशि को उसके खाते में अंतरित (वापस) किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के अंतरण/भुगतान होने के उपरान्त वाउचर नम्बर एवं दिनांक अंकित कर सबमिट किया जायेगा। तदोपरान्त application disposal की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

उक्त समस्त प्रक्रिया एक माह के अंदर पूर्ण कर ली जायेगी।

उपरोक्तानुसार निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन कराते हुये प्रदेश में मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के प्रोत्साहन हेतु समय–समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत संचालित मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के लाइसेंस धारकों को अनुमन्य राज्य कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति कराये जाने का कष्ट करें। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

भवदीय,

(डा0 नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0– 1399 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, राज्य कर अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. संयुक्त आयुक्त (आई0टी) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
5. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सेक्टर अधिकारी (राज्य कर अधिकारी/सहायक आयुक्त/उपायुक्त), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त नोडल अधिकारी (मनोरंजन कर कार्य)/सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड–1, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया से मल्टीप्लेक्स/एकल सिनेमाघरों के संचालकों को अवगत कराते हुये अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।